(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 23 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 92

बउनवान

धनराज मीना निवासी वार्ड नं. 08, उम्मेदगंज अंताना तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 23.12.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑफलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 06 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नलिखित है :–

1. तहसीलदार के आदेश(राजस्व / 2024 / 2051) पर गठित टीम द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?
2. परिवाद संख्या– 082236313436822 के संबंध में पटवारी द्वारा अतिक्रमण की शुरूआत की पुष्टि की गई, पटवारी की रिपोर्ट / नकल प्रदान करें।
3. पटवारी की रिपोर्ट पहले पोर्टल (082236313436822) पर उपलब्ध थी, उक्त रिपोर्ट को क्यों हटाया गया? स्पष्ट करें।
4. उपरोक्त प्रकरण में लिप्त व्यक्ति को अब तक कितने नोटिस दिये गए है? नोटिसों की प्रति प्रदान करें।
5. अतिक्रमण की शुरूआत से निर्माण कार्य पूर्ण करने के दौरान (लगभग 4 से ज्यादा महिनों में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ) पटवारी द्वारा मौके पर अतिक्रमण की शुरूआत कोट / पत्थर पुष्टि के बाद निर्माण कार्यवाही को क्यों नहीं रोका गया? (पोर्टल पर अतिक्रमण की शुरूआत की फोटो संलग्न है।)
6. क्या तहसीलदार कार्यालय की उक्त प्रकरण में कार्यवाही की कोई योजना है? अगर है तो जनहित में समयबद्ध रूपरेखा प्रदान करें ताकि ग्रामीण मामले में उचित कदम उठा सकें।

अपीलार्थी को उक्त 06 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 25.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू को जरिये सम्मन कमांक 879–880 दिनांक 25.11.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन कमांक 879–880 दिनांक 25.11.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/327–328 दिनांक 01.12.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई। उक्त जवाब में अपीलार्थी को 06 बिंदुओं के संबंध में बिंदुवार सूचित कर दिया गया है जो निम्नानुसार है :–

1. राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 में दिये गये निर्देशानुसार जवाब देना आवश्यक नहीं है।
2. परिवाद संख्या– 082236313436822 के संबंध में पटवारी द्वारा अतिक्रमण की शुरूआत की पुष्टि की गई, पटवारी की रिपोर्ट/नकल संलग्न है।
3. राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 में दिये गये निर्देशानुसार जवाब देना आवश्यक नहीं है।
4. राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 में दिये गये निर्देशानुसार जवाब देना आवश्यक नहीं है।
5. राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 में दिये गये निर्देशानुसार जवाब देना आवश्यक नहीं है।
6. राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 में दिये गये निर्देशानुसार जवाब देना आवश्यक नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 06 बिंदुओं की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू द्वारा बिंदुवार सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अटरू को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **23.12.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ